

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 979] No. 979] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 25, 2016/वैशाख 5, 1938 NEW DELHI, MONDAY, APRIL 25, 2016/VAISAKHA 5, 1938

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2016

का.आ. 1492(अ).—यत: दिल्ली मुख्य योजना -2021 में इसके अंतर्गत उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में केन्द्र सरकार का जिन कितपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 14.11.2014 की सार्वजनिक सूचना का.आ.सं. 2916 (अ) के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा(3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियांसुझाव/ आमंत्रित किए गए थे।

- 2. यत: प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित पूछताछ और सुनवाई बोर्ड द्वारा विचार किया गया और इसे दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदित किया गया।
- 3. यत: केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली मुख्य योजना-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

(1)

1968 GI/2016

4. अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना-2021 में लिए निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:

जोन-डी में आने वाली भूमि के निम्नलिखित क्षेत्र के भू-उपयोग को नीचे सूचीबद्ध विवरण के अनुसार परिवर्तित किया जाता है:

अवस्थिति	क्षेत्रफल	दि.मु.यो.2021/क्षे.वि.यो. के अनुसार भूमि उपयोग	भूमि उपयोग निम्नलिखित में परिवर्तित किया जाना है	सीमाएं
1 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	1.12	3 दि.म्.यो2021 के	4 सरकारी	5 उत्तर: दयाल सिंह कॉलेज
के लिए प्रस्तावित अक्षय ऊर्जा भवन, जो सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स के सामने	ा.12 हेक्टेयर (2.76	अनुसार-'आवासीय'	सरकारा (सरकारी कार्यालय)	दक्षिण: 13.5 मार्गाधिकार वाली सड़क एवं प्रगति
स्थित है एवं जिसका मुख्य द्वार जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई	एकड़)	दि.मु.यो2021 के अंतर्गत तैयार की गई		विहार हॉस्टल पूर्व: राष्ट्रीय जांच एजेंसी की भूमि
दिल्ली को जाने वाली सड़क की तरफ है तथा जो योजना जोन-'डी' के		जोन-'डी' की अनुमोदित क्षेत्रीय विकास योजना के	कार्यालय)'	का मूाम पश्चिम: लोधी रोड कॉम्पलेक्स एवं पार्क।
अंतर्गत आता है।		अनुसार-'परिवहन (बस टर्मिनल)'।		

[फा. सं. के-13011/10/2015-डीडी-I] सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2016

- **S.O. 1492(E).** whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 2916(E) dated 14.11.2014 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by subsection (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.
- 2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modification have been considered by the Delhi Development Authority; and
- 3. Whereas the Central Government have after carefully considering all aspect of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021.
- 4. Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATIONS:

The land use of the following area of land falling in Zone-D is changed as per description listed below:

Location	Area	Land use as per MPD-2021/ZDP	Land use Changed to	Boundaries	
1	2	3	4	5	
Proposed	1.12 ha. (2.76	As per MPD-2021-	'Government		
Akshay Urja	acres)	'Residential'	(Govt. Office)'	North : Dayal Singh	
Bhawan for the		As per approved	'Government	College	
Ministry of		Zonal Development	(Govt. Office)'	South : 13.5 R/W Road	
New and		Plan of Zone-D		and Pragati	
Renewable		prepared under MPD-		Vihar Hostel	
Energy,		2001-'Transportation		East : Land of	
opposite CGO		(Bus terminal)'		National	
Complex,				Investigating	
opening on				Agency	
Road to JLN				West : Lodhi Road	
Stadium, New				Complex and	
Delhi, falling in				Park	
Planning,					
Zone-'D'.					

[F.No. K-13011/10/2015-DD-I] SUNIL KUMAR, Under Secy.